



Neutral Citation No. - 2026:AHC:161788

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-ए संख्या - 41380 वर्ष 2002

नासिर हुसैन

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

पुलिस अधीक्षक एवं अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अनिल तिवारी, सुभाष चंद्र मौर्य, सुभाष मौर्य

प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 34

एस.एन. 20

माननीय न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता

1. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता सुभाष चंद्र मौर्य की ओर से पैरवी करते हुए सुश्री अंजलि शुक्ला तथा राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री जितेंद्र प्रसाद को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका याचिकाकर्ता द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.09.2000 को निरस्त किए जाने की प्रार्थना करते हुए दाखिल की गई है, जिसके द्वारा

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



याचिकाकर्ता की सेवाएँ सिविल पुलिस में आरक्षी के पद से इस आधार पर समाप्त कर दी गई थीं कि उसे अपने अभिरक्षा में रखे गए एक अभियुक्त के भाग जाने तथा उपचार हेतु अभियुक्त को मेडिकल कॉलेज ले जाने के बजाय अपने गाँव ले जाने के संबंध में लगाए गए आरोपों का दोषी पाया गया था। याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी तथा पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2000 एवं 28.11.2001 को भी चुनौती दी है, जिनके द्वारा याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल अपील एवं पुनरीक्षण को निरस्त कर दिया गया था।

3. संक्षेप में मामले के तथ्य यह हैं कि वर्तमान याचिकाकर्ता उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी के पद पर कार्यरत था। दिनांक 11.03.1999 को लगभग प्रातः 09:50 बजे याचिकाकर्ता ने जिला कारागार, बिजनौर से राजपाल नामक अभियुक्त/बंदी को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज, मेरठ ले जाने के लिए अपनी अभिरक्षा में प्राप्त किया, किंतु उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। दिनांक 13.03.1999 को याचिकाकर्ता ने थाना कोतवाली नगर, बिजनौर में सूचना दी कि दिनांक 12.03.1999 को लगभग सायं 07:30 बजे उक्त बंदी को कारागार वापस ले जाते समय हथकड़ी निकालकर वह याचिकाकर्ता की अभिरक्षा से भाग गया। उपर्युक्त घटना के पश्चात याचिकाकर्ता ने उक्त बंदी को भागने के लिए पर्याप्त समय देने के बाद दिनांक 13.03.1999 को घटना की सूचना दी।

4. याचिकाकर्ता के विरुद्ध दूसरा आरोप यह था कि दिनांक 11.03.1999 को जब याचिकाकर्ता को बंदी को उपचार हेतु मेडिकल कॉलेज ले जाने का दायित्व सौंपा गया था, तब वह उक्त बंदी को मेडिकल कॉलेज ले जाने के बजाय अपने गाँव ले गया था, जिसे विभिन्न ग्रामीणों द्वारा प्रमाणित किया गया था। उपर्युक्त आरोपों के आधार पर याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही प्रारंभ की गई। याचिकाकर्ता को दिनांक 27.08.1999 को आरोप-पत्र

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जारी किया गया। आरोप-पत्र याचिकाकर्ता को विधिवत तामील कराया गया तथा याचिकाकर्ता ने जांच कार्यवाही के दौरान विभिन्न साक्षियों से जिरह भी की। तत्पश्चात् जांच अधिकारी ने दिनांक 10.08.2000 को अपनी जांच आख्या प्रस्तुत की। इसके बाद, अनुशासनिक प्राधिकारी ने याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसका उत्तर भी याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात्, आक्षेपित आदेश दिनांक 25.09.2000 द्वारा अनुशासनिक प्राधिकारी ने जांच आख्या तथा कारण बताओ नोटिस के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता की सेवाएँ समाप्त करने का आदेश पारित किया, क्योंकि याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध पाए गए। इसके पश्चात्, याचिकाकर्ता द्वारा दाखिल अपील एवं पुनरीक्षण भी क्रमशः आक्षेपित आदेश दिनांक 25.11.2000 एवं 28.11.2001 द्वारा निरस्त कर दिए गए।

5. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता का स्पष्टीकरण यह है कि दिनांक 11.03.1999 को उसने उक्त बंदी को अपनी अभिरक्षा में लेकर उसे मेडिकल कॉलेज ले जाने के लिए प्रस्थान किया था और वास्तव में वह उसे मेडिकल कॉलेज ले गया था। तथापि, जब तक वे वहाँ पहुँचे, तब तक अस्पताल बंद हो चुका था और इसलिए उक्त बंदी का उपचार प्रारंभ नहीं हो सका। इसके बाद, रात्रि में उन्हें मेरठ रेलवे स्टेशन के निकट किसी विश्राम गृह में रुकना पड़ा और दिनांक 12.03.1999 को बंदी को मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहाँ बंदी के नाम से पर्ची जारी की गई और चिकित्सक ने उसका परीक्षण किया। तत्पश्चात् चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श-पत्र भी जारी किया गया और दिनांक 16.03.1999 को पुनः आने की सलाह दी गई। इसके बाद, वह बस द्वारा मेरठ से लगभग सायं 07:30 बजे बिजनौर पहुँचा और जब वह बस अड्डे पर पहुँचा, तब अभियुक्त/बंदी लघुशंका के लिए गया और उसके बाद उक्त बंदी उसकी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अभिरक्षा से भाग गया। अतः उक्त अभियुक्त/बंदी के याचिकाकर्ता की अभिरक्षा से भाग जाने में याचिकाकर्ता की ओर से न तो कोई जानबूझकर किया गया कृत्य था और न ही उसका कोई दुर्भावनापूर्ण आशय था। इसके तुरंत बाद याचिकाकर्ता ने अन्य आरक्षियों के साथ मिलकर उक्त अभियुक्त/बंदी की तलाश करने का प्रयास किया तथा उसके गाँव भी गया, जहाँ वह नहीं मिला। तत्पश्चात् याचिकाकर्ता ने उक्त अभियुक्त/बंदी के अभिरक्षा से भाग जाने के संबंध में उसके परिवार के सदस्यों को सूचित किया। इसके बाद अगले दिन थाना कोतवाली, बिजनौर में उक्त बंदी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 224 के अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या 213 वर्ष 1999 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

6. अतः याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता का यह निवेदन है कि याचिकाकर्ता ने सद्भावनापूर्वक कार्य किया और उक्त फरार बंदी के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने से पूर्व उसे खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराने में लगा समय याचिकाकर्ता द्वारा उक्त लापता बंदी की तलाश के लिए किए गए सद्भावनापूर्ण प्रयासों के कारण लगा। इसलिए, उक्त अभियुक्त के अभिरक्षा से भाग जाने में याचिकाकर्ता की कोई दोषपूर्ण भूमिका नहीं थी। अतः याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि सूचना देने में हुई देरी याचिकाकर्ता द्वारा किए गए सद्भावनापूर्ण प्रयासों के कारण हुई, जिस पर जांच अधिकारी तथा अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा समुचित रूप से विचार नहीं किया गया और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता के विरुद्ध आक्षेपित दंडादेश पारित कर दिया गया। अतः याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दंडादेश के साथ-साथ अपीलीय एवं पुनरीक्षण आदेशों को भी निरस्त किए जाने की प्रार्थना की।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



7. इसके विपरीत, राज्य की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता को समुचित अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत याचिकाकर्ता के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध पाए गए हैं। इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि याचिकाकर्ता की अभिरक्षा से एक बंदी का भाग जाना याचिकाकर्ता की ओर से घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का कृत्य था। अतः याचिकाकर्ता को दिया गया दंड नियमों के अनुरूप है और अत्यधिक दंड नहीं है। इसलिए, वर्तमान याचिका में इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।
8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के उपरांत, इस न्यायालय ने मामले के अभिलेख का सावधानीपूर्वक परिशीलन किया है। मामले के तथ्यों को उपर्युक्त वर्णित किया जा चुका है। अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता का यह स्वीकृत मामला है कि जिस अभियुक्त/बंदी को चिकित्सीय उपचार हेतु याचिकाकर्ता की अभिरक्षा में सौंपा गया था, वह उसकी अभिरक्षा से भाग गया। यद्यपि याचिकाकर्ता का बचाव यह है कि यह याचिकाकर्ता की ओर से जानबूझकर किया गया कृत्य नहीं था, तथापि मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से यह परिलक्षित होता है कि यह याचिकाकर्ता की ओर से लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का कृत्य था और नियम 8 के उपनियम (4)(क) के अंतर्गत बंदी अथवा अभियुक्त के अभिरक्षा से भाग जाने के ऐसे कृत्य के लिए एकमात्र निर्धारित दंड सेवा से बर्खास्तगी है।
9. ऐसी स्थिति में, इस न्यायालय को याचिकाकर्ता के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने की अपनाई गई संपूर्ण प्रक्रिया अथवा याचिकाकर्ता के विरुद्ध आक्षेपित दंडादेश तथा अपीलीय आदेश एवं पुनरीक्षण आदेश पारित किए जाने में कोई अवैधता नहीं मिलती है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. उपर्युक्त कारणों से, वर्तमान याचिका में कोई बल नहीं है और तदनुसार इसे निरस्त किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता)

दिनांक: 03 अगस्त, 2026

ओ.के.

Translated Version. Not For Legal Use.

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और शासकीय उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”